न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

राजस्व वाद संख्या 37 / 2015

1. धन्नाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी किसनासर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. काशीराम पुत्र तख्ताराम जाति ब्राह्मण निवासी किसनासर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

–वादीगण–

बनाम

1. लेखराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी किसनासर तहसील लूनकरनसर
2. नागरमल पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी किसनासर तहसील लूनकरनसर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1 श्री श्यामदीन पडिहार वादी की ओर से
2 पैरोकार राज स्टेट की ओर से

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,92क,90,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :–. 06/02/2023

पत्रावली आज पेश हेतु प्रार्थना पेश करने पर पेश हुई। प्रतिवादीगण 1ता2 के विरूद्व पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही आदेश हो चुके हैं। वादीगण वकील एवं राजपैरोकार उपस्थित अवलोकन किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92क,90,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट के तहत जरिये अधिवक्ता वादीगण निवेदन किया गया कि मौजा रोही ग्राम किसनासर के खसरा नम्बर 149 मिन 20 बीघा सैटलमेंट से पहले की भौतिक कब्जाकाश्त की धारण की हैं। पिता वादी संख्या 2 ने अपने जीवन काल में ही वादी एवं प्रतिवादी 1ता2 के हक में पारिवारिक व्यवस्था के तौर पर भौतिक बंटवारा कर दिया। इसी के आधार पर उपयोग उपभोग वादी करता आ रहा हैं। वादी अर्जित स्वत्व अधिकार की घोषणा का अधिकारी हैं। ग्राम किसनासर एवं राजपुराहुडान की दोनों जगहही पैतृक जोत स्थित है उसके पास कुल 20 बीघा कब्जाकाश्त की जोत का भाग हैं। उपनिवेशन सैटलमेंट ने चकबंदी के समय रोही ग्राम किसनासर के खसरा नम्बर 494/149 कुल 20 बीघा रिकार्ड के विरूद्ध किसनासर का संवत 2038 में खातेदारी [illegible] बाद में सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वास्तव में मौके पर कब्जा [illegible] किसनासर के खसरा नम्बर 494/149 मे 20 बीघा पर [illegible] अपने कर्तव्य के प्रतिउदासीनता रोंगफुल [illegible] क्षति पंहुचाई हैं। मौके पर 50 साल से अधिक विधिक कब्जाकाश्त [illegible] के अर्जित व निहत अधिकारों की घोषणा का अधिकारी वादी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:34:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

पारिवारिक बंटवारा मौखिक का दिनांक 21.07.2011 को वादी संख्या 2 के द्वारा लिखित सब की सहमति से करने के बाद प्रतिवादी 1ता2 के द्वारा दिनांक 28.07.2014 करे जेरवाद रोही राजपुरा के सूड़ करने गया तो पारिवारिक समझौता को मानने से इन्कार हो गए जबरिया खुद काश्त करने की धमकी दी और फौजदारी करने पर आमादा हो गये पंचायती की प्रतिवादी 3 ने भी समझाया परन्तु नहीं माने अप्रत्याशित जोत पर आक्रमण हुआ है हक व उपयोग से वंचित का खतरा है वाद के अलावा कोई चारा नहीं रहा हैं। इसी आधार पर वाद पेश हैं।

प्रतिवादी 3 के पटवारी हल्का ने धमकी दी है कि काश्त की तो फसल कुर्क कर निलाम कर दी जावेगी। पैतृक जोत से बेदखली और अपूर्तनीय क्षति संभावित है क्षति पूर्ति का कोई विकल्प नहीं है। इसी आधार पर चिरनिषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया। वाद अत्यन्त अर्जन्टनेचर का हैं। प्रक्रिया के विरूद्ध बेदखली कर दी गई तो वाद का कोई मकसद नहीं रह जावेगा और उपयोग से महरूम का खतरा है परिवार के भूखों मरने की संभावना हैं। उपनिवेशन सैटलमैंट में चकबंदी के समय रोही ग्राम किसनासर के खसरा नम्बर 494/149 मे 20 बीघा रिकार्ड के विरूध किसनासर का संवत 2038 में खातेदारी अंकित रकबा गलत रूप से वाद में सिवायचक दर्ज कर दिया गया। रिकार्ड में चकबंदी में जाना दर्ज कर दिया गया। गिरदावरी संख्या 2058 तक में चक बंदी से बाहर मौके पर कब्जा काश्त रोही किसनारसर के खसरा नम्बर 494/149 मे 20 बीघा पर चले आ रहे सिवाय चक अंकन व संवत 2059 में व बाद में ना तो चक 12 एलकेडी के रिकार्ड में दर्ज किया गया और ना ही रोही किसनासर के रिकार्ड में दिखाया गया है ना ही सूची नं. 4 व 8 किसनासर की तैयार कर उपलब्ध कराई गई हैं। 12 एलकेडी का अब कोई चक व रिकार्ड उपनिवेशन व राजस्व में बना हैं। विधिक खातेदार के हको का लोप का पुनः अंकन आ दिनांक कराने का अधिकारी वादी हैं। प्रतिवादी 3 अपने कर्तव्य के प्रतिउदासीनता रांगफुलएक्ट की कार्यवाही से राजहित को भी क्षति पंहुचाई हैं। मौके पर 40 साल से अधिक विधिक कब्जाधारी पैतृक जोत के अर्जित व निहित अधिकारों की घोषणा का अधिकारी वाही है।

जैरवाद रकबा के बाबत अर्सा से उपविशन सर्वे में किस गांव या चक में शामिल किया गया है पटवारी हल्का द्वारा रिकार्ड के अभाव में मजबूरी जाहिर की जा रही है । नकलों के लिए पतिवादी 3 के समक्ष आवेदन के बावजूद नकलें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। मौके सर्वेसीट उपनिवेशन 22.03.1977 में 12 एलकेडी खसरा नम्बर 149 मिल के मु.नं. 112/18,19 व 112/25,26 में दर्शाया गया हैं। कभी भी किसी सक्षम अधिकारी व प्रक्रिया के जरिए वादी का रकबा खारिज किया गया हैं। रिकार्ड तैयारी में वादी की जोत के प्रतिकूल स्वत्व अधिकार अर्जित के मुकाबले स्वतः शून्य व निष्प्रभावी है की घोषणा का अधिकारी वादी हैं।

जेरवाद रकबा किसनासर के बात लम्बे आर्सा के बाद कई अभियानों में उपनिवेशन सर्व में इसी गांव चक 10 एलकेडी के मु.नं. 112/18 के किला 5,6 मे 2.0 बीघाख मु.नं. 112/19 कि.नं. 15,16,17,24,25 में 4.0 बीघा व मु.नं. 112/26 के कि.नं. 1,2,3,8,9,10,11,12,18,19,22,23 कुल 12.0 बीघा, मु.नं. 112/27 में कि.न. 2,3,9,10 में 3.0 बीघा में शामिल किया गया हैं। अर्जित खातेदारी के प्रतिकूल कि रोही किसनासर की जोत का भाग हाल 493/149 कुल 21.0 [illegible] की जेरवाद रकबा 12 एलकेडी के बजाय 10 एलकेडी में खसरा [illegible] मिन के मु.नं. 111/18,19 व 111/17,25,26 में से 111/26 कि.नं. 3 [illegible] कुल 21.0 बीघा मु0नं0 111/27 कि0नं0 3ता8, [illegible] तथा बारानी खसरा नम्बर 149 मिन तादादी 15 [illegible] बाहर दर्शाया गया हैं। रकबा लोपित की घोषणा कराकर पैतृक पारिवारिक व्यवस[illegible] में प्रदत का तन्हा मालिक व काबिज स्वत्वधारी है । गैर खातेदार विकल्प में खातेदारी का अधिकारी हैं। प्रतिकुल अंकन कलमजन कराकर रेकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:34:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

विकल्प में चक 10 एलकेडी पैरा 8 में अंकित मुरबा/किला अर्जित व निहित की घोषणा की जावे। विकल्प में मुरबा नं. 111/10 किला नं. 3ता7, 10ता25 कुल 21 बीघा व मु0नं0 111/11 किला नं0 1ता4 कुल 4. बीघा क्षतिपूर्ति में प्रक्रिया में प्राथमिकता के आधार पर सक्षम व पात्रता की घोषणा के आधार पर पाने का अधिकारी हैं।

रोही किसनासर की जोत का भाग हाल 494/149 तादादी 20 बीघा रोही की जेरवाद रकबा पैतृक पारिवारिक व्यवस्था में स्वत्वधारी हैं। गैर खातेदार विकल्प में खातेदारी का अधिकारी हैं। पैतृक जोत हाल रोही राजपुरा हुड़ान के 40 साल से अधिक की भौतिक कब्जाकाश्त के आधार पर अर्जित प्रतिकूल कब्जा के वादी के अधिकार निहित हो चुके हैं। घोषणा का अधिकारी खातेदार हो चुका हैं। सीवायचक के बजाय अपना नाम स्थापित कराने का अधिकारी हैं

उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी स्टेट को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने जवाब दावा पेश कर वाद पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार किया।

जवाब दावा एवं वादपत्र के आधार पर निम्न प्रकार तनकीयात कायम कि गई–

1. आया की दावा की रोही किसनासर के खसरा नम्बर 494/149 तादादी 20 बीघा वादी काशीराम पुत्र तख्तारामं के नाम खातेदारी की घोषणा की जावे। विकल्प के रकबा का लोप चकबन्दी/आरसीपी में जाने के बाद न तो किसनासर में किया गया और न ही मुताबिक चक प्लान मु0नं 111/18, 17,2625,27 किला नं. 03ता08 13ता15 में 9.0 बीघा सिवायचक 12 एलकेडी के बजाय 10 एलकेडी में शामिल किया गया तथा बारानी खसरा नम्बर 149 मिन 15 बीघा चक सीमा से बाहर दर्शाया गया। बारानी किशनासर की रोही के रेस्टोर के अधिकारी वादीगण हैं
2. आया की सूची 4 व 8 नाम की उपलब्ध नहीं कराई गयी मात्र चक प्लान सर्वे संवत 2033 ही शामिल साक्ष्य के रूप में हैं। वादीगण रकबा खातेदारी तद्नुसार चक मे गैर खातेदारी के रूप में तथा बारानी में खातेदारी घोषणा के जरिये प्रतिकुल अंकन कलमजन के अधिकारी हैं तथा वर्तमान नियमों में पात्रता के आधार पर किमत जमा कराकर रेकॉर्ड में अंकन के अधिकारी हैं। वादीयान की खातेदारी जोत हैं
3. आया की उपरोक्त अनुतोष पैरा संख्या 1 व 2 के बाबत चिर निषेधाज्ञा के अधिकारी प्रतिवादीगण के विरूद्ध हैं।
4. आया की वादीगण धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में वाद स्वीकार योग्य हैं।
5. आया की वाद वादी साक्ष्य सूची नं. 4 व 8 के अभाव में स्वीकार योग्य है।
6. दादरसी।

उपरोक्त कायम की गयी तनकीयान में 1 ता 3 को साबित करने का भार वादीगण पर एवं 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:34:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि मोजा रोही किसनासर के खसरा नं. 149 तादादी 20 बीघा के वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त काश्तकार है की घोषणा की जाती हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि रोही राजपुरा हुडान खसरा नम्बर 560 तादादी 4.2600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 450 तादादी 0.9600 हैक्टेयर में से 0.8000 हैक्टैयर कुल 5.0600 हैक्टेयर दुरूस्ती कर जहॉं–जहॉं अराजीराज दर्ज है वहां–वहां वादगत भूमि वादीगण के नाम खातेदार दर्ज करने की आज्ञा दी जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

अतः तहसीलदार लूनकरनसर उक्त भूमि रिकॉर्ड में अराजीराज की जगह वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करे। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनाथ शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:34:02 IST
Reason: SelfAttested